

(c) The NCERT, has reported that occasionally small quantity of paper received from the HPC was found damaged or defective. Quantities of such damaged or defective paper were found to be insignificant and that all such quantities are replaced by the HPC after a joint inspection, as per the contractual provisions.

(d) The practice of advance payments is in vogue with DGS&D and other government departments. The HPC has been supplying paper to DGS&D and such other Government departments against advance payments. The Ministry of Human Resource development has followed this practice, with the provision of 100% advance payment in the contract. The NCERT too, is following this practice, with partial modification by pegging the advance payments to 98.7% only.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हड़ताल

2523. श्री सत्य प्रकाश भालवीय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कर्मचारी विगत 15 दिनों से हड़ताल पर हैं जिसके कारण विश्वविद्यालय के कार्यालय का काम काज ठप है;

(ख) यदि हाँ, तो इस हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) हड़ताल समाप्त करवाने के लिए और विश्वविद्यालय का काम सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार और विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (क. गैलजा): (क) से (ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों ने बेतनमांगों में संशोधन और कर्मचारियों के कुछ वर्गों की पदोन्नति के अवसर सहित सेवा की परिस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर 11 जुलाई, 1994 से हड़ताल कर दी थी। उनकी मांगों पर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद, विश्वविद्यालय ने उनकी कुछ मुख्य मांगों को मिझान्त रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विश्वविद्यालय जाकि मांगों पर विचार करने पर भी सहमत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों ने 26 जुलाई, 1994 को हड़ताल समाप्त कर दी थी।

Review of Pay Structure of Teachers

2524. SHRI RAM NATH
KOVIND:
SHRI PRAMOD
MAHAJAN: SHRI J.S.
RAJU:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal for reviewing the pay structure of trained and untrained teachers in view of the high cost of living;

(b) if so, whether Government propose to constitute any committee;

(c) if so, whether the instructions in this regard have been issued to the UGC;

(d) if not, what is the present status of the proposal; and

(e) by when the recommendations of Chattopadhyaya Commission will be implemented?

DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) According to the information furnished by UGC, the Commission has decided to set up a Committee to, inter alia, examine the present structure of emoluments and conditions of service of university and college teachers, Librarians, Directors of Physical Education and Registrars of universities, and to make recommendations in this behalf having regard to the need for improving the quality of education, the necessity of attracting and retaining talented persons in the teaching profession and advancement opportunities to the above categories of persons.

(d) Does not arise.

(e) Chattopadhyaya Commission Report submitted in 1985 contained 138 recommendations, many of which were in the nature of broad observations covering need for a national corecurriculum; vocationalisation, universalisation of Elementary Education; status, working conditions and welfare of teachers; supply, recruitment and training of teachers; society's expectation of the teachers,

etc. These recommendations have already been taken note of by the Government both in the formulation of the National Policy on Education and the Programme of Action (as modified in 1992) and also while notifying the revised pay scales and emoluments of teachers from 1.1.1986.

मधुबनी, बिहार के स्वयंसेवी संगठनों को दी गयी सहायता

2525. श्री राघवदेव भंडारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मधुबनी जिला में स्वयंसेवी संगठनों को उनके मंत्रालय द्वारा दी गयी सहायता का अद्यतन ब्यौर क्या है;

(ख) उक्त संगठनों द्वारा विधियों के उपयोग की निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है;

(ग) क्या वित्तीय अभियन्तियों के संबंध में उनके खिलाफ कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी कार्यवाही का ब्यौर क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) इस मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संगठनों, जिनमें बिहार के मधुबनी जिले में स्थित स्वैच्छिक संगठन भी शामिल हैं, को दी गई एक लाख से अधिक की सहायता के ब्यौरे इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध हैं जिन्हें बजट सत्र के दौरान माननीय संसद सदस्यों को परिचालित किया गया था और वे संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग ने उस जिले में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को क्रमशः 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान 8,35,419 रु, 6,94,535 रु और 8,59,219 रु की वित्तीय सहायता दी है। सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे किसी भी स्वैच्छिक संगठन को उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है, जिनकी अग्रे और कोई अनुदान देने पर विचार करने से पहले जांच की जाती है। विशेष शिकायतों के मामले में, मामले की जांच की जाती है और आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो स्वैच्छिक संगठन के निरूद्ध कार्यवाई की जाती है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को अन्तरिम राहत

2526. श्री गोविन्दराव आदिक : क्या मानव संसाधन

विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली राज्य की भांति केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और तिब्बती विद्यालयों के शिक्षकों की चट्टोपाध्याय समिति का प्रतिवेदन क्रियान्वित होने तक अन्तरिम राहत स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इसे अब स्वीकार करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौर क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल, प्रशासन भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हैं, इन संगठनों के शिक्षकों को वेतन और भत्तों का भुगतान वेतनमानों के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार किया जाता है। सरकार ने इन संगठनों के शिक्षकों को कोई अंतरिम सहायता स्वीकृत करने का निर्णय नहीं लिया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन संबंधी समाचार

2527. श्री राघवजी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 1994 के नवभारत टाइम्स के दिल्ली महानगर संस्करण में प्रकाशित "केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना के उद्देश्यों पर सवालिया निशान" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) जी, हां, यह समाचार मुख्यतः दाखिलों, शिक्षा स्तरों में गिरावट और संगठन के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के बारे में है।

(ग) यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि और उसके परिणामतः कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण और साथ ही केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए भारी मांग के कारण यह व्यवस्था बहुत दबाव में आ गई है। तथापि सम्बन्धित रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों से सिद्ध नहीं किए गए हैं।